

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक:- 807 /3-2 बजट (NPV)/25-26 दिनांक 02 फरवरी, 2026
सेवा में,

समस्त सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद में आवंटित किये गये **रु 78.67 लाख** की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0-532/3-5 दिनांक 22 जनवरी, 2025।
महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद-42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रु 78.67 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड www.ukcampa.org.in पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु रु 78.67 लाख (संलग्नक-1) हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें


- राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक-NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025, पत्रांक-NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 एवं पत्रांक NA-15/4/2020-NA दिनांक 12.11.2025 (ई-मेल की दिनांक) (कैम्पा वेबसाईड में अपलोड) व शासकीय पत्रांक-2048/X-2-2025-12(31) 2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025, शासकीय पत्रांक-2197/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 19.09.2025 एवं शासकीय पत्रांक-2927/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 03.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
- उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा-निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- कैम्पा के कार्यों में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
- अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 शासकीय पत्र संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13 अगस्त 2025 (समय-समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-287566/E-79713/(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों व समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
- कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंगत विवरण अंकित हो।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
- प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक-आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
- कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
- पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

12. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
13. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली- 2018' में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए—
 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली- 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति, के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।
 परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।


14. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
15. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीकरण, IWLMIP एवं मृदा जल संरक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

 (सुबोध कुमार काला)
 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा।


पत्रांक:- 807 (1) /3-2 बजट (NPV)/ 2025-26 दिनांकित
 प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त हल्द्वानी।
3. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त एवं भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड।


 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक- 807 (2) /3-2 बजट (NPV)/ 2025-26 दिनांकित।
 प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या 1/228041 दिनांक 22.11.2025 के क्रम में।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।


 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नक-1

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण का नाम	आवंटित धनराशि	भौतिक लक्ष्य
1	2	4	5	6
1	Fire prevention activities in Van Panchayats	प्र0व0, चकराता	3.20	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के पत्रांक संख्या- I/228041 दिनांक 22-11-2025 के अनुसार चकराता वन प्रभाग को वन पंचायतों हेतु वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी आयोजित करवाये जाने हेतु।
2	Research plots	वन वर्धनिक, पर्वतीय, उत्तराखण्ड, नैनीताल	15.47	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार कार्य सम्पादित किये जाने है।
3	Construction of residential and official buildings	प्र0व0, उत्तरकाशी	60.00	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार 02 वन रक्षक चौकी का निर्माण।
	कुल योग		78.67	


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

कैम्पा

संख्या: 532/3-5 (कैम्पा-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य)

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 22 जनवरी, 2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन विभाग की अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :- 1. शासनादेश संख्या-2048/X-2-2025-12(31)2025(E-74356) दिनांक 30 जून, 2025 अलॉटमेंट आई.डी. 25060270014 दिनांक 30.06.2025 - आवंटित बजट ₹36,90,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2. शासनादेश संख्या-2197/X-2-2025-12(31)2025(E-87865) दिनांक 19 सितम्बर, 2025 अलॉटमेंट आई.डी.-S25090270007 दिनांक 19.09.2025 - आवंटित बजट ₹1,06,60,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
3. शासनादेश संख्या-2927/X-2-2025-12(31)2025(E-87865) दिनांक 03 सितम्बर, 2025 अलॉटमेंट आई.डी.-S25120270003 दिनांक 03.12.2025 - आवंटित बजट ₹83,17,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या-27, लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" योजनान्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 2,26,67,00,000/- (₹ दो अरब छब्बीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी बजट ₹ 1,89,27,99,899/- (₹ एक अरब नवासी करोड़ सत्ताईस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ निन्यानवे मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 78,67,000/- (₹ अठहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र) को IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:-

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिपरिर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या-NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्या- NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जाए।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाए।
5. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उत्तराखण्ड कैम्पा
पंजीकरण संख्या 17/12
दिनांक 28/01/26
पत्रावली सं०
शाखा Dg. Director (3) / Ado
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)**

Signature valid

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forests
Treasury-Uttarkashi(4100)

Digitally Signed.
By: Mr. Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2026 08:48
Reason: HOD Approval
Location: Cyber

DDO-DFO Uttarhashi Forest Division Uttarkashi(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-532/3-5

आवंटन आई डी - H26010270072

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 21-JAN-2026

लेखा शीर्षक -

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास

103 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा

03 राज्य प्राधिकरण

04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	59991000	6000000	46148127	65991000
	योग	59991000	6000000	46148127	65991000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 60,00,000 (Rupees Sixty Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2601:0083

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)**

Signature valid

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forests
Treasury-Chakarata(0101)Digitally Signed:
Name: Mr. Hemant Singh, Hemant Singh Gangwar
Date: 22 Jan 2026 08:32:06
Reason: HOD Approval
Location: Cyber

DDO-DFO Chakarata Forest Division Chakarata(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-532/3-5

आवंटन आई डी - H26010270073

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 21-JAN-2026

लेखा शीर्षक -

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास

103 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा

03 राज्य प्राधिकरण

04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य

2 4 0 6 0 4 1 0 3 0 3 0 4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	36485000	320000	12715301	36805000
	योग	36485000	320000	12715301	36805000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 3,20,000 (Rupees Three Lacs Twenty Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2601:0084

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)**

Signature valid

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forests
Treasury-Nainital(3600)Digitally Signed
By: Mr. Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2026 08:37:06
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

DDO-Van Vardhanik Uttarakhand Nainital(4326)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-532/3-5

आवंटन आई डी - H26010270074

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 21-JAN-2026

लेखा शीर्षक -

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास

103 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा

03 राज्य प्राधिकरण

04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य

2 4 0 6 0 4 1 0 3 0 3 0 4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	14420000	1547000	5858747	15967000
	योग	14420000	1547000	5858747	15967000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 15,47,000 (Rupees Fifteen Lacs Forty Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2601:0085

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand